


कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।
पत्रांक 920 /उधान/नि०स०/2019-20 दिनांक 3-7-19
अल्पकालीन ई - निविदा
वृक्षारोपण कार्य के तहत Ornamental विभिन्न प्रजाति के पौधों की
आपूर्ति के कार्य हेतु दिनांक 11-7-2019 तक ई टैण्डर बैंकसाइट
www.uktenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती
है । विस्तृत विवरण उपरोक्त बैंकसाइट पर उपलब्ध है।
उधान अधिकारी


कार्यालयः मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक ७२० /उधान/नि०स०/२०१९-२०

दिनांक ३ जुलाई २०१९

अल्पकालीन ई – निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उधान एवं आरबोरीकल्वर के कार्य में दक्ष /अनुभवी फर्म से टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत(तकनीकी एवं वित्तीय) जो आयकर एवं जी०एस०टी० के अन्तर्गत पंजीकृत हो से निम्नलिखित ०१ कार्यों हेतु निविदा दिनांक ११-७-२०१९ को अपराह्न ३.०० बजे तक ई-टैण्डर वैबसाइट www.uktenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों की पहले तकनीकी बिड, जो उसी दिन अपराह्न ३.०० बजे गठित समिति द्वारा उपरिथित निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड बाद में खोली जायेगी, जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदादाता को भेजी जायेगी। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्ण अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढ़त) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक फर्म द्वारा नीचे वर्णित क्रमांक ०१ हेतु निविदा मूल्य ११८०/- (जी०एस०टी० सहित) की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ० डी० आर / री० डी० आर० / एन०एस०सी० के रूप में होगी, उधान अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के उधान अनुभाग में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। जिनको वैबसाइट uktenders.gov.in में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा। अन्य शर्ते जी०पी०ठब्ल०-९ एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परकोरमेंस सिक्युरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी संशोधित शासनादेश संख्या ११९७/११(२)/०.७-७५ (सामान्य)/११ दिनांक २४-२-२०१४ एवं अन्य के अनुसार होंगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जी०एस०टी० (लाख में)	धरोहर रु०	राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता
१	वृक्षारोपण के तहत हरेला कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आरनीमेटल पौधों की आपूर्ति का कार्य	८२२६८७.००	२४६८०.००	०१ माह	९० दिन	

१-क्रमांक ०१ के लिए निविदादाता पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य के उधान अनुभाग में नर्सरी में पंजीकृत हो तथा इसमें कम से कम नर्सरी के कार्य एवं संचालन का ०५ वर्ष का अनुभव हो एवं सरकारी संस्थानों भारत सरकार/राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों एवं प्राइवेट संस्थान में कार्य किया जो उधानीकरण से सम्बन्धित सामग्री पौधों आदि की आपूर्ति का कार्य किया हो। तकनीकी निविदा के साथ नर्सरी रथल सहित फोटोग्राफस विवरण सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसका रथल निरीक्षण कराया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित क्रमांक संख्या ०१ में वर्णित कार्यों हेतु निविदाकर्ता द्वारा ई-टैण्डर वैबसाइट uktenders.gov.in के माध्यम से अंतिम दिनांक को २.०० बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा ओनलाईन प्रणाली के अनुसार प्रथक-प्रथक जमा की जायेगी। प्रथम चरण में तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त अहता पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेगी।

निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि निविदा खोले जाने से पूर्व उधान अनुभाग में जमा करानी अनिवार्य है तथा निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि की प्रति को तकनीकी निविदा के साथ भी अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि जमा ना किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

निविदा प्राप्त किये जाने की जो अंतिम दिनांक है तथा वर्णित कार्यों हेतु धरोहर राशि एवं कार्य अवधि तथा निविदा की वैधता उपरोक्तानुसार विवरण में अंकित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों हेतु समर्त भुगतान मूल्यांकन एवं सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा।

उपरोक्त समर्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष में निहीत है।

Om Pal

उधान अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

प्रतिलिपि :-

- 1— सचिव, म०दे०वि०प्रा०देहरादून।
- 2— गुरु लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।
- 3— नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्ड हेतु।
- 4— नाजिर म०दे०वि०प्रा० को इस आशय से प्रेषित य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 5— सिर्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से कि उक्त विज्ञाप्ति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6— प्राधिकरण बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 7— संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अमृता

उधान अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।